March 2007

ईकोटूरिज़्म
(पर्यावरण हितैषी पर्यटन)
बाज़ार–आधारित संरक्षण योजना के रूप में

बाज़ार आधारित संरक्षण योजना के लिए विद्यमान वित्तीय प्रोत्साहन और समुदाय आधारित संरक्षण पहल पर प्रभावः किस तरह ईकोटूरिज़्म विकास उन क्षेत्रों को पूँजी में परिणित करता है जो भारत में समुदायों पर प्रभाव करके संरक्षित किए जाते हैं ।

Equations
info@equitabletourism.org
www.equitabletourism.org

Global Forest Coalition
www.globalforestcoalition.org

1. ईकोटूरिज़्म बाज़ार– आधारित संरक्षण योजना के रूप में (परिभाषा / विवरण)

'बाज़ार–आधारित संरक्षण योजनाएँ' ऐसी क्रियाविधियाँ हैं जो निजी सेक्टर (क्षेत्रक) के योगदान को पर्यावरण संरक्षण तथा विभिन्न पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए बाज़ार के प्रयोग के लिए संघटित और दिशा देने की कोशिश करती है [i]। निजी योगदान को आकृष्ट करने के लिए रियो सम्मेलन के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुकूल धारणीय संसाधन प्रबंधन पद्धतियों को समाविष्ट करने के लिए तथा विश्व के गरीब, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों के विकास में योगदान देने के लिए इसे एक नवीन दृष्टिकोण के रूप में सक्रियता से प्रचारित किया जा रहा है [ii]। इन योजनाओं का वृहत प्रकार के सरकारी और गैर–सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा जंगलों और परितंत्रों के संरक्षण के अर्थ प्रबन्ध के संभावित नई और नवीन पद्धति के रूप में सक्रियता से प्रचारित किया जा रहा है [iii]। भारत में 'ईकोटूरिज़्म' ऐसी एक योजना है जिसका प्रचार किया जा रहा है क्योंकि संरक्षण की भाषा बोलना लाभकारी है ।

जैव विविधता सम्मेलन (सी. बी. डी) के पक्षकारों ने जैव विविधता संरक्षण में बाज़ार–आधारित दृष्टिकोणों का अंगीकार कर लिया है। ऐसे दृष्टिकोणों को जैविक विविधता और पर्यटन के संदर्भ में बहस ने भी आगे बढ़ाया है जिसे पहली बार 1999 में प्रारम्भ किया और 2000 में जैव विविधता सम्मेलन के पाँचवे सम्मेलन के पक्षकारों द्वारा पर्यटन के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव के बारे में विस्तृत चर्चा के रूप में परिणित हो गई। जैव विविधता–समृद्ध क्षेत्रों में पर्यटन के प्रचार में होने वाली गलतियों पर चेतावनी वक्तव्यों के बावजूद पक्षकारों के सम्मेलन के निर्णय V/25 यह घोषित करती है कि ''जैविक विविधता के संरक्षण और उसके तत्वों के धारणीय प्रयोगों के संबंध में पर्यटन लाभ का बोध कराने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रस्तुत करती है।'' इसी निर्णय में पक्षकारों का सम्मेलन इस पर भी ध्यान देती है कि ''ऐतिहासिक प्रेक्षण यह संकेत करती है कि पर्यटन उद्योग का जैविक संसाधनों के धारणीय प्रयोग के लिए स्वतः नियामक विरले ही सफल हुआ है।'' स्वैच्छिक दृष्टिकोण के अंतर्निहित सीमाबद्धता की अभिस्वीकृति के बावजूद सी.बी.डी. के पक्षकारों ने तत्पश्चात जैविक विविधता और पर्यटन विकास के स्वैच्छिक दिशानिर्देश को विस्तृत करने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है, जिसे सी.बी.डी. के सातवें पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा स्वीकृत किया गया । इन दिशानिर्देशों में केवल स्वैच्छिक मापदण्ड के रूप में आदिवासी लोग और स्थानीय समुदायों को पर्यटन विकास में शामिल करने की आवश्यकता को उल्लिखित किया गया है। इस बीच, राष्ट्रीय स्तर पर, कई सरकार ''ईकोटूरिज़्म'' विकास, जो की, जैव विविधता – समृद्ध क्षेत्रों में पर्यटन का विकास है, का सक्रियता से प्रचार कर पर्यटन की क्षमता का अंगीकार कर रही है। तथापि चूंकि दिशानिर्देश स्वैच्छिक प्रकृति की है इसलिए अनेक तथाकथित ''ईकोटूरिज़्म'' विकास धारणीय से काफी दूर है। इसके अतिरिक्त, शक्तिशाली पर्यटन योजनाएँ, जो ईकोटूरिज़्म के रूप में अंकित है और जो आजकल अनेक पर्यटन प्रचालकों द्वारा विकसित किया जा रहा है, की तुलना में समुदाय[iv] – संचालित पर्यटन पहल अभी भी नगण्य भूमिका निभा रही है। सी.बी.डी. द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण समुदायों के लिए ''उग्र रूप से स्पद्धित'' और ''पर्यटक गंतव्य से दूर स्थित वित्तीय हितों द्वारा संचालित'' बाज़ार में स्पर्धा करना बहुत ही मुश्किल है (निर्णय V/25, पक्षकारों का सम्मेलन)। यह भी, की स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ''प्रचालक संभावित रूप से अपने प्रतिकूल पर्यावरण संबंधी प्रभावों को जैसे कचरा, गंदा पानी और मलजल को आसपास के क्षेत्रों की ओर ''निर्यात'' करेगी जहाँ पर्यटकों का जाना असंभाव्य है'' (पक्षकारों के सम्मेलन का निर्णय V/25)।

2. ईकोटूरिज़्म लाभकर विकल्प क्यों है ?

ईकोटूरिज़्म निस्संदेह विश्व भर में बहुत बड़ा व्यवसाय है। जब संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने विश्व पर्यटन संगठन के आशीर्वाद के साथ 2002 में ईकोटूरिज़्म का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष (IYE) आरम्भ किया, तब उसे विशाल उद्योगों और पर्यटन सहयोगियों का कोलाहपूर्ण प्रत्याभूति और समर्थन मिला। कारण बहुत साधारण था – 'ईकोटूरिज़्म' वह जादुई मंत्र था जिसने संरक्षण की बोली बोलकर और लाभ पर समझौता ना करते हुए पर्यटन के प्रतिकूल पर्यावरण पदचिन्हों की व्यवस्था करके पर्यटन उद्योग के आलोचकों को शान्त किया। यह हरित–प्रक्षालन (green-washing) विकासशील देश, जो ईकोटूरिज़्म का लक्ष्य थे, के समुदायों और समूहों को स्पष्ट विदित था – जिन्होंने UNEP और IYE आयोजकों को अपने विद्रोह और चिन्ताओं के बारे में लिखा। परन्तु इन प्रयासों के बावजूद, ईकोटूरिज़्म, सरकार और उद्योग के लिए लोकप्रिय विकल्प है। उधर वे लोग है जो ये सोचते हैं की 'ईकोटूरिज़्म' छाप ने अपनी दूरी तय कर ली है और अब रास्ते से हट रहा है, मुख्यतः पश्चिम और पर्यटन–स्रोत देशों में परन्तु दुर्भाग्यवश, भारत में ऐसा नहीं है जहाँ ईकोटूरिज़्म अभी भी साध्य संकल्पना के रूप में शासन कर रही है और उसे सक्रिय

यह विवरण लेख तीन लेखों की श्रृंखला में पहला है जो "जीवन वाणिज्य परियोजन के रूप में" के अंश के भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। "जीवन वाणिज्य परियोजन के रूप में," के दूसरे चरण का लक्ष्य है बाज़ार–आधारित संरक्षणा योजना, जैसे ईकोटूरिज़्म के पर्यावरण संबंधी और सामाजिक प्रभावों को संबांधित करना, परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य ईकोटूरिज़्म के प्रभाव पर स्थानीय समुदायों, सामाजिक आन्दोलनों, नारी समूहों और प्रासंगिक पॉलिसी बनाने वालों की जागरुकता क्षमता उत्पन्न करना और ईकोटूरिज़्म के प्रभाव को संबोधित करने के लिए स्थानीय समुदायों, सामाजिक आन्दोलनों और नारी समूहों की क्षमता को विकसित और मजबूत करना है।

सरकारी समर्थन तथा उद्योग निवेश मिल रहा है। बाज़ार–आधारित तंत्र के माध्यम से अपने संरक्षण प्रयत्नों के समर्थन के दावे की वज़ह से 'ईकोटूरिज़म' एक लोकप्रिय विकल्प है।

इसके अतिरिक्त भारत में विद्यमान पर्यावरण संबंधी नियम के संशोधनों और ऐसी नीतियों के करण जो नियन्त्रण न रखकर सरल बनाती है, ईकोटूरिज़म विकास के लिए बहुत कम विनियम विद्यमान है। राष्ट्रीय पर्यावरण पॉलिसी 2006, ईकोटूरिज़म अपने पूरे वनों और पारिस्थिति सुग्राही क्षेत्रों की संस्तुति करती है; नये पर्यावरण संबंधी प्रभाव निर्धारण अधिसूचना ने पर्यटन को पर्यावरण प्रभाव निर्धारण और निकासी के सीमाक्षेत्र से छोड़ दिया है; ये कुछ उदाहरण नियंत्रक ढाँचों के बदलते रूप को दिखाने के लिए है। विशेष पर्यटन ज़ोन (STZ) जैसे नये पॉलिसियों के साथ पर्यटन उद्योग को जबाबदेही से छुट्टी दे दी गई है और ईकोटूरिज़म इसका उपयोग करने के लिए तैयार है।

आकलन, विकासशील देशों में ईकोटूरिज़म बाजार के मूल्य को करीब (USD) 400 अरब डोलर प्रति वर्ष रखती है [v]। भारत के पर्यटन उद्योग, जिसने ईकोटूरिज़म का उपयोग किया, में अपने समृद्ध जैविकी और सांस्कृतिक विविधता, विरासत तथा उद्यमवृत्ति कुशलता के कारण इस बाज़ार में पर्याप्त हिस्सा है। ईकोटूरिज़म के विकास के लिए मुख्य प्रोत्साहन, निजी पूँजी, UN एजेंसियाँ और अभी हाल में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन जैसे विश्व बैंक और ऐशियन विकास बैंक के शामिल होने के माध्यम से है।

3. भारत में ईकोटूरिज़म – नीति और नियंत्रक विवक्षा

भारत का ऐसे औपनिवेशिक शासकों का इतिहास है जो देशी और स्थानीय समुदायों से प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण हड़प लेती है जिसके कारण संरक्षण के परम्परागत प्रबंधन और ज्ञान पद्धति का ध्वंस हुआ है। यह प्रक्रिया स्वातंत्र्योत्तर चलती रही जिसके कारण संरक्षण का अपवर्जित नमूना, कभी कठोर कानूनों के साथ पूर्ण, का स्वीकरण हुआ। इसके कारण समुदायों और प्राधिकारियों के बीच संघर्षों का तीव्रीकरण हुआ है। जहाँ व्यापारिक और राजनैतिक ताकतों के दबाव के कारण प्राधिकारी वनों का प्रभावपूर्ण संरक्षण करने में असफल रहे वहाँ देश भर में अनेक समुदाय–दीक्षित और समुदाय–आधारित संरक्षण प्रक्रिया है।

समान्तर स्तर पर ईकोटूरिज़म अनेक रक्षित क्षेत्रों और समुदाय संरक्षण क्षेत्रों में प्रबलता के साथ फैलाया जा रहा है। इस तरह के प्रचार का बढ़ावा राष्ट्रीय और राज्य स्तर के ईकोटूरिज़म/पर्यटन नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों और अंतर सरकारी ऐजेन्सियों की परियोजनाओं द्वारा प्रकट हो रहा है।

पर्यटन उद्योग संघों और संगठनों द्वारा तैयार अन्तर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशी [vi] से निकाला गया ईकोटूरिज़म [vii] नीति और दिशानिर्देश 1998 पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी, भूमंडलीय उद्योग खिलाड़ियों के हितों को प्रस्तुत करती है। लाभ के लिए पर्यावरण सम्बन्धी रक्षण इस नीति का दृष्टिकोण है। यह नीति भारत के सभी परितंत्रों को ईकोटूरिज़म संसाधन के रूप में रूपरेखित करती है और घोषित करती है की ये सभी अच्छी तरह से रक्षित और संरक्षित है।

जहाँ नीति ईकोटूरिज़म व्यवसाय के मुख्य खिलाड़ियों के लिए अपने सिद्धान्तों की सूची और परिचालन पहलूओं को विस्तृत करती है वहाँ वह समुदायों की भूमिका, पर्यावरण संबंधी संसाधनों की रक्षा करने और 'मेज़बान' की भूमिका के रूप में पर्यटन को अपने सेवाएँ प्रदान करने में काफी हद तक कम हो जाती है। समुदायों द्वारा रक्षित पर्यावरण ईकोटूरिज़म के लिए सब संसाधन है जब पर्यटन प्राकृतिक सुन्दरता को अनुभव करते है। देशी और स्थानीय समुदाय महत्वपूर्ण ''पणधारी'' बन जाते है तथा उसके द्वारा ऐसी प्रक्रिया के सहायक बन जाते है जहाँ पर्यावरण संबंधी संरक्षण उनके वश में निहित रहता है और इसका अनुकरण आर्थिक उद्यम की सहायता के लिए किया जा रहा है। जो बात नीति ध्यान देने से चूक जाती है वह है ईकोटूरिज़म तथा आदिवासी और स्थानीय समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और संस्थागत प्रक्रिया के बीच में दुतरफा अनुबन्धन उनका जीवन, जहाँ वे रहते है, उस पर्यावरण से बहुत करीबी रूप से जुड़ जाता है और उनकी प्रथाएँ और परम्पराएँ उससे बहुत गहन सहलग्नता रखती है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों का पर्यटन नीति बहुत ही एक पक्षीय दस्तावेज़ है जो कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश और सिद्धान्तों को प्रस्तुत करने के अपने उद्देश्य को बहुत कम संतुष्ट कर पाती है [viii]।

छत्तीसगढ़ के पास ईकोटूरिज़म पॉलिसी नहीं है ईकोटूरिज़म स्थलों की जानकारी सरकारी वेबस्थल [ix] पर दी जाती है जो ये घोषित करती है की उसके नीति के उद्देश्यों में से एक है – राज्य में आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से तथा पारिस्थितिकता धारणीय पर्यटन; साथ में तीन राष्ट्रीय उद्यानों तथा ग्यारह वन्यजीव अभयवनों में ईकोटूरिज़म को बढ़ावा देना है।

मध्य प्रदेश के पर्यावरण और साहसिक पर्यटन नीति 2001–02 [x] के मुख्य लक्षणों में सम्मिलित है – निजी सहभागिता को शामिल करने के उपाय जो गतिविधियों, स्थलों और आर्थिक विचारों पर आधारित है। नीति के अनुसार परियोजना की मंजूरी का मानदण्ड परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता है ना की पर्यावरण–संबंधी मानकों और क्षेत्रिकरण विनियमों को संतुष्ट करना। नीति यह भी घोषित करती है की मध्य प्रदेश अपने समृद्ध सम्पन्न प्राकृतिक पर्यावरण के साथ, जिसका अब तक शोषण नहीं हुआ है, पारिस्थितिक और साहसिक गतिविधियों के लिए असीम संभाव्य है।

उत्तराखण्ड के पास अलग से ईकोटूरिज़्म नीति नहीं है परन्तु अप्रैल 2001 में बनाया गया ईकोटूरिज़्म का विकास राज्य [xi] के पर्यटन नीति में शामिल कर लिया गया है। नीति का स्वप्न उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों रूप से एक प्रधान पर्यटन गंतव्य में उन्नत करना है और उत्तराखण्ड को ''पर्यटन का पर्यास'' बनाना है। वह इस सेक्टर (क्षेत्रक) को ''निजी सेक्टर और स्थानीय मेज़बान समुदायों के सक्रिय सहयोग से पर्यावरण–हितैषी रूप से विकसित करना चाहती है।'' और अंत में, वह पर्यटन को राज्य के लिए एक प्रधान आय कमाऊ और ''राज्य में आर्थिक और सामाजिक विकास का केन्द्र बिन्दु'' बनने की सीमा तक रोज़गार के रूप में विकसित करना चाहती है।

राज्य की नीतियाँ निजी सेक्टर निवेश के माध्यम से ईकोटूरिज़्म पर सकेन्द्रित है। ये नीतियाँ पर्यावरण के लिए प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को खोलने के लिए दबाव डालती है। यहाँ तक की इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदायों का जीवन और जीविका प्रभावित होगी और इतनी सख्ती से की अगर ईकोटूरिज़्म अनियंत्रित है, तो वह राज्य के नीतियों के स्तर पर विरले ही स्वीकृत हो पाती है ।

जंगलों, पर्वतों, तटों और नदियों के छोर पर फैली हुई जो समृद्ध प्राकृतिक विरासत है वो पूरी की पूरी समुदायों का निर्वाह स्थल है, जो ''पर्यटन उत्पाद'' बनती है। यहाँ तक की रक्षित क्षेत्र, जो परिभाषा से वाणिज्य गतिविधियों को रोकती है, को अब सम्भाव्य पर्यटन क्षेत्रों के रूप में देखा जा रहा है। इन क्षेत्रों में पर्यटन स्थल एक संसाधन–गहन गतिविधि, स्थानीय समुदायों और संरक्षण की मांगों तथा उपभोक्ता उन्मुख उद्योग की मांगों जो प्रकृति को एक आर्थिक वस्तु समझती है, के बीच हितों के संघर्ष को जन्म देती है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय – भारत सरकार ने रक्षित क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए कदम उठाए : राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव

भारत में समुदाय संरक्षित क्षेत्र का उदाहरण

भारत के उत्तराखण्ड राज्य के जरधरगाँव द्वारा 600–700 हेक्टेयर वनों का पुनरुत्थान और रक्षण, ग्राम वासियों ने करीब सौ प्रकार के देशी फसलों का पुनः आविष्कार किया है और उन्हें सफलतापूर्वक जैविकी रूप से पैदा कर रहे हैं तथा घास–स्थल और जल प्रबंधन के पारम्परिक तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में वे न केवल अपने गाँव के वनों का बल्कि आसपास के क्षेत्र जो खनन और जल–विद्युत परियोजना के कारण तहस–नहस हो रहे हैं, उनका बचाव करने के लिए काफी संघर्ष किया है । (सूर्यनारायण जे और मल्होत्रा पी. 1999).

स्रोत : पाठक एन; इस्लाम ऐ. एकरन्ते एस.यू.के और हुस्सैन ऐ. ''दक्षिण आसिया में देशी और स्थानीय समुदायों द्वारा रक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबन्धन में सीखे गए सबक'' IUCN ; http://www.iucn.org/themes/ceesp/publications/TILCEPA/CCA-N Pathak.pdf Nov. 2006 से आंकड़े पुनः प्राप्त

अभयारण तथा बाद में वन्य जीव (रक्षण) अधिनियम 1972 के तहत समुदाय आरक्षिति और संरक्षण आरक्षिति और उसकी उत्तरर्ती संशोधन। जब इन रक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया तब देशी और स्थानीय समुदायों की बड़ी जनसंखा को विस्थापित किया गया। और अब अनेक भारतीय राज्यों के वन विभाग, साथ में अध्ययन राज्यों को शामिल करके इन में से अनेक रक्षित क्षेत्रों में ईकोटूरिज़्म का विकास करना चाहती है। बहुत सारी स्थितियों में, संक्रियांओं में देशी और स्थानीय समुदायों की सेवाएँ गाइडों और लॉज में कामगारों के रूप में शामिल है। यद्यपि ईकोटूरिज़्म का इस प्रकार से चलाए जाने में अंतर्निहित समस्याएँ हैं अर्थात् अधिकतर वन विभाग द्वारा समुदायों से निर्णयन में बहुत कम सहायता लेकर चलाया जाता है और लाभ का बड़ा हिस्सा राज्य के राजकोष को चला जाता है तथापि ईकोटूरिज़्म को संरक्षण योजना के रूप में प्रचलित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, समुदाय–अधिकृत पर्यटन पहल अभी भी अन्य पर्यटन योजनाओं की तुलना में नगण्य भूमिका निभा रहे है जो प्रायः ईकोटूरिज़्म के रूप में अंकित किए जाते है और प्रायः बड़े, वैश्विक पर्यटन प्रचालकों द्वारा विकसित किया जाता है। वे ईकोटूरिज़्म को बाजारों के लिए स्पर्धा ना मानकर जीविका धारणीय पूरक का स्रोत मानते हैं। समुदायों के लिए ऐसे बाज़ार से स्पर्धा करना बहुत मुश्किल होता है जो उग्र रूप से प्रतियोगी है और जिनका नियन्त्रण पर्यटन गंतव्यों में आर्थिक रुचियों के हाथों में है। और, स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव महस्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि प्रचालक अपने प्रतिकूल पर्यावरण संबंधी प्रभावों जैसे कचरा, गंदा पानी तथा मलजल को आसपास के क्षेत्रों में भेजना चाहेंगे जहाँ पर्यटकों का जाना अंसभाव्य है। अनेक बार, सरकार ने इन पहलों

को नज़र–अंदाज किया है और कम सहायता दी है। इन्होंने ईकोटूरिज़म के रूप में कई पर्यटन रूपों का प्रचार किया है जिनका संरक्षण से कोई वास्ता नहीं है। दूसरा चिन्ताजनक कारण यह है कि सरकार ने पॉलिसी के ज़रिए अपनी भूमिका को स्थापित करने के लिए अलोकतान्त्रात्मक माध्यमों को अपनाया है।

विश्व बैंक प्रमाणित संयुक्त वन प्रबंधनों (JFM) और भारतीय पर्यावरण विकास परियोजनाओं (IEDP) जैसे प्रयत्नों ने इस गतिरोध को अधिक योगदान नहीं दिया है क्योंकि इसने समुदाय नियन्त्रण तथा प्राकृतिक संसाधनों की पहुँच की मुख्य समस्याओं को संबोधित नहीं किया। जब ईकोटूरिज़म विकास नियन्त्रण के घेरे में व्याप्त हो जाती है, तब समुदाय अधिकारों की मूल समस्याओं का समाधान नहीं होता है और प्रबन्धक पद समुदाय से हटकर ईकोटूरिज़म उद्योग और उसके खिलाड़ियों की ओर खिसक गया है।

उत्तराखंड में वन प्रबंधन के लिए संदर्भ

राज्य संपत्ति के सबसे बड़े रक्षक के रूप में, वन विभाग वनों को अच्छी स्थिति में रखने में या लोगों की वन–आधारित जीविका की मांगों को पूरा करने में असफल रही है । उसके वन संरक्षण और वन्यजीव रक्षण अधिनियम के प्रवर्त्तन की जिम्मेदारी उसके जन–विरोधी ऐजेंसी की छवि को पुष्ट करती है । अतः 1988–89 में कुछ चिपको कार्यकर्ताओं ने एक और, अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध, 'पेड़ काटो आंदोलन' चलाया । उनका तर्क था की पर्वतीय ग्रामों का मूल विकास योजनाओं को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम का प्रयोग किया जा रहा है जबकि निर्माता माफिया पर्यटन का प्रचार करने के वेश के तहत उसका निर्लज्जता से अनादर कर रहे हैं (रावत 1998) अभी हाल में रक्षण क्षेत्रों के नेटवर्क के विस्तार के कारण हुए संसाधन विस्थापन और जीविका के नुकसान ने छीनों झपटो आन्दोलन को जन्म दिया जिसने विरक्ति और असमर्थता के गहन बोध को प्रतिबिम्बित किया । वे औरतें भी पर्यावरण शब्द से नफरत करने लगी है जिन्होंने चिपको आन्दोलन के दौरान ठेकेदारों को वनों को काटने से रोक कर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति पाई । जैसा की इनमें से रेनी गाँव की एक औरत ने शिकायत की : 'उन्होंने ये पूरे वन के आसपास के क्षेत्र को नन्दादेवी जीवमंडल रक्षिति के तहत रख दिया है । मैं अब पेट दर्द के लिए भी जड़ीबूटी बीन नहीं सकती ।' (मित्रा 1993)

स्रोत : सारिन एम. सिंह, एन.एम. सुन्दर, एन. और भोगल, आर.के. (2003), ''हस्तांतरण वन–विज्ञान के लोकतांत्रिक निर्णयन को एक खतरा ?'' भारत के तीन राज्यों से प्राप्त निष्कर्ष, आधार पत्र 197, ओवरसीज़ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लंदन (समुद्रपार विकास संस्थान, लंदन)
http://www.odi.org.uk/fpeg/publications/papers/wp/197.html
November, 2006

4. आर्थिक प्रोत्साहन और समुदाय संरक्षित क्षेत्रों में उसका प्रभाव :

राष्ट्रीय स्तर पर, हालांकि पर्यटन मंत्रालय–भारतीय सरकार ने अपने ईकोटूरिज़म पॉलिसी और दिशानिर्देश, 1998 में पर्यावरण–हितैषी प्रयोगों को रूपरेखित किया है, फिर भी ईकोटूरिज़म को समर्थन देने के लिए काफी कम प्रत्यक्ष आर्थिक प्रोत्साहन योजनाएँ है। अवसंरचना विकास, पूँजी आयात सहायिका विपणन सहायता और ईकोटूरिज़म के प्रचार के लिए प्रोत्साहन पर दबाव जारी है। फिर भी कई राज्य पर्यटन पॉलिसियाँ और योजनाएँ ऐसे स्थलों की पहचान करते है जिनका विकास बजटीय सहयोग के साथ ईकोटूरिज़म गंतव्यों के रूप में किया जाने वाला है परन्तु अनेक स्थितियों में धन, संरक्षण योजनाओं के बजाय अवसंरचना निर्माण और 'हार्डवेयर' विकास की ओर चला जाता है। चूंकि ईकोटूरिज़म निम्न–अवसंरचना के रूप में माना गया है और इसलिए कम प्रभावशाली गतिविधि है, अवसंरचना विकास पर इतना ध्यान केन्द्रित करना संरक्षण सिद्धान्त के खिलाफ जाता है। यद्यपि ईकोटूरिज़म पॉलिसी और दिशानिर्देश, पर्यावरण–हितैषी तकनीकों जैसे सौर्य, पुनः चक्रित, वर्षा–जल संग्रहण इत्यादि का निर्धारण करती है तथापि ऐसे तकनीकों के समावेश के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

इन सरकार – समर्थक उद्यम के अतिरिक्त भारत में ईकोटूरिज़म की अधिकतर पूंजी निवेश निजी सेक्टर से आई है। ताज होटल प्राईवेट लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी विलासिता होटल कम्पनियों में से एक ने ईकोटूरिज़म बाज़ार पर धावा बोल दिया है। देश भर में पारिस्थितिक होटल और रिसोर्ट (Resort) स्थापित करने के अलावा ताज़ ने संरक्षण निगम अफरिका (CCA) के साथ भारत में शिकार आरक्षिति खोलने के लिए वन्यजीव पर्यटन में निवेशी शुरू कर दिया है। 485 अभयारणों और 87 राष्ट्रीय उद्यानों से अधिक के साथ यह एक बहुत ही लाभकारी निवेश है।

ईकोटूरिज़म में अन्य निजी निवेश, मान (scale) की बदलती मात्राओं और निवेश के साथ अधिकतर स्थानीय उद्यमवृत्ति के माध्यम से हुआ है। ये शिकारा और होम स्टे (home stay) जैसे लघु–मान पहलों जैसी गतिविधियों को चलाने से लेकर ईको–रिसोर्ट (eco-resort) में निवेशी और थोड़ी और परिष्कृत ईकोटूरिज़म उत्पादों तक की रेंज में पाई जाती है। ये उद्यम, स्थानीय आधारित और अधिकृत होने के कारण परितंत्र पर महत्वपूर्ण स्तर पर संचयी प्रभाव डालती है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति एकजुट और संख्या में अधिक होती है।

भारत में ईकोटूरिज़्म के लिए एक ज़रूरी प्रोत्साहन और सहयोग UN ऐजेंसियों UNEP और UNDP द्वारा दिया गया है। जहाँ पहली ने अन्तर्राष्ट्रीय ईकोटूरिज़्म वर्ष में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है वहीं दूसरी ने ईकोटूरिज़्म के तत्वों के साथ अपने जीविका और पर्यावरण कार्यक्रमों द्वारा अनेक प्रकार की परियोजनाओं को सहयोग दिया है। अभी हाल ही में पर्यटन में UNDP के उद्यमों में से एक है UNDP - पर्यटन मंत्रालय – भारत सरकार (MoT) एण्डोजीनस पर्यटन परियोजना – एक ऐसा ''असाधारण ईकोटूरिज़्म उद्यम'' जो ग्राम स्तर पर ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण कला और शिल्प का प्रचार करती है। यद्यपि वास्तविक आर्थिक निवेश साफ नहीं है, दोनों ही UN निकाय की कार्यसूची पर पर्यटन के माध्यम से विकास और संरक्षण का कार्य है। फिर भी इस तरह के पर्यटन में ''ईको'' नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर भी MoT इसका प्रचार इसी रूप में करती है ; जहाँ 'हार्डवेयर' (अवसंरचना) को स्थापित करने पर बल दिया जाता है तथा संरक्षण को महत्वता नहीं दी जाती है।

अप्रत्यक्ष रूप से, विश्व बैंक समर्थक परियोजना जैसे संयुक्त वन प्रबंधन और भारत ईको विकास परियोजना में ईकोटूरिज़्म एक अभिन्न बाज़ार–आधारित संरक्षण योजना के रूप में है। विश्व बैंक का भारतीय रिपॉर्ट प्रस्तुत करता है – ''जैसे ही पूर्व विनष्ट किए गए वन पूर्ण विकसित होकर महत्वपूर्ण संरक्षण लाभों को उत्पन्न करेंगे तब चालू JFM वनों से पारिस्थिति और ईकोटूरिज़्म मूल्य 1.7 billion तक बड़ सकता है और ''ईकोटूरिज़्म और वन क्षेत्रों में कार्बन पृथक्करण के कारण वनों से राष्ट्रीय GDP का हिस्सा 1.1 से लेकर 2.4 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है ।''

निष्कर्ष :

क्या ईकोटूरिज़्म वास्तव में संरक्षण की ओर ले जा रहा है?अगर ऐसा है तो ईकोटूरिज़्म दावों का समर्थन करने वाले उदाहरण कहाँ हैं?

यह कई बार घोषित किया जाता है कि ईकोटूरिज़्म संरक्षण और स्थानीय समुदायों के लाभ की ओर ले जाता है। फिर भी, जो देखा गया है वह ये है कि ईकोटूरिज़्म आम–पर्यटन से भिन्न नहीं है।

ईकोटूरिज़्म उन क्षेत्रों को लक्ष्य कर रही है जो समुदायों की कीमत पर रक्षित किए गए है, जहाँ :

- समुदायों को अपने पारम्परिक आवासों से संरक्षण के लिए विस्थापित कर दिया है और ऐसी संवलित पॉलिसियों के माध्यम से जो संरक्षण और लोगों के अधिकारों के बीच का संतुलन नहीं रखती है ।
- सरकार द्वारा नैतृत्व और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों द्वारा समर्थित योजनाओं की तुलना में समुदायों ने संरक्षण की पहल की है और उनसे बहतर काम किया है ।

परन्तु ईकोटूरिज़्म इन क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने के लिए तैयार है। जब संरक्षण अन्य तरीकों के माध्यम से किया जा सकता है, और जिन्हें प्रदर्शित भी किया गया है, तो ईकोटूरिज़्म को लाने की आवश्यकता क्या है जबकि वह संरक्षण के ध्येय को प्राप्त करने में असफल हो चुकी है?

ईकोटूरिज़्म अब भी बाजार–चालित है और सरकार अपनी पॉलिसियों के माध्यम से, जो निजी उद्यमों की आवश्यकताओं के अनुकूल है, ऐसा होने दे रही है। ये निजी खिलाड़ी ईकोटूरिज़्म के नाम पर संरक्षण का प्राचार कर रहे हैं जबकि उनके प्रयोग संरक्षण उन्मुखता या संरक्षण प्रयत्नों के समर्थण से काफी दूर है।

संरक्षण तभी हो सकता है जब निम्नलिखित मानदंडो में से कम से कम एक या अधिक का अनुकरण हो:

i) यदि अवसंरचना, पर्यटक परिमाण या गतिविधियों के संबंध में ईकोटूरिज़्म विकास पर विनियम रखे जा रहे हो;
ii) यदि संरक्षण प्रयोजनों के लिए पर्यटन लाभों को तैनात किया जाए; और
iii) यदि सच्चे ईकोटूरिज़्म प्रयास हो जो आम–पर्यटन को बढ़ने ना दे, और इस तरह विकास पर नियत्रण करके संरक्षण को बढ़ावा दें।

यथार्थ में, ऐसे प्रयोगों का अस्तित्व नहीं है, जिसका अस्तित्व है, तथापि, वे ऐसे प्रोत्साहन है जो ईकोटूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए गतिशी है और संरक्षण के नाम पर एक भी नहीं।

समाप्ति नोट्स

i फ्रेंडस ऑफ दी अर्थ इन्टरनैशनल (2005), "प्रकृतिः गरीब जनता का धन – UN विश्व शिखर के लिए एक स्थिति लेख (Position Paper) और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की समीक्षा, 14–16 सितम्बर 2005"

ii पैक्नि, मार्क और मैरैंड, कारेल (2005), "परितंत्र सेवाओं के लिए MEA – आधारित बाजार – बहुपक्षीय पर्यावरण संबंधी अनुबंधो (MEAs) और निजी निवशों पर OECD कार्यशाला के लिए प्रारूप संकल्पना लेख, हेलसिन्की, फिनलैण्ड, 16–17 जून 2005 यूनीस्फेरा अन्तराष्ट्रीय केन्द्र, आँकाड़ों के स्रोत के लिए http:/www.unep.org/dec/IIEDecosystem.pdf नवंबर 2006

iii उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिक परामर्श (SBSTTA) पर सहायक संस्था के ग्यारहवे सम्मिलन के प्रोत्साहन कार्रवाही पर अपनी टिप्पणी में जैविकी विविधता के सम्मेलन के कार्यपालक सचिव ने लिखा कि "जैवविविधता के संरक्षण और धारणीय प्रयोग के लिए बाजार सर्जन कई बार प्रभावशाली माध्यम रहा है।"

iv इस लेख में समुदाय का अर्थ है आदिवासी लोग और स्थानीय समुदाय।

v मेरा पर्यटन कितना हरित है? ऐक्सप्रेस होटल–मालिक और खान–पान प्रबंधक. 2004.

vi अन्तर्राष्ट्रीय दिश्ससनिर्देश इस प्रकार हैः

1. UN WTO (विश्व पर्यटन संगठल) के पर्यटन के लिए राष्ट्रीय उद्यान और रक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए दिशानिर्देश।
2. PATA संहिता, पर्यावरण की ओर उत्तरदायी पर्यटन के लिए।
3. हिमालय के पर्यटन सलाहकार मंडल द्वारा तैयार किया गया हिमालय का आचार संहिता।
4. अन्तराष्ट्रीय ईकोटूरिज़्म सोसाइटी द्वारा ईकोटूरिज़्म दिशानिर्देश।

vii UN WTO द्वारा वर्णित पॉलिसी में ईकोटूरिज़्म की परिभाषा इस प्रकार है "पर्यटन जिसमें अपेक्षाकृत अनछुए प्राकृतिक दृश्यों और इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले उसके जंगली पौधों और जानवरों तथा साथ ही साथ सांस्कृतिक पक्ष (दोनो ही, पूर्व या वर्तमान के) के अध्ययन, प्रशंसा और आनन्द उठाने के उद्देश्य से इनकी सैर शामिल है। पॉलिसी इस प्रकार ईकोटूरिज़्म के मुख्य अंशों को सूचित करती है – एक प्राकृतिक पर्यावरण मुख्य आकर्षण के रूप में; पर्यावरण हितैषी पर्यटक; ऐसी गतिविधियाँ जिनका परितंत्र पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है; स्थानीय समुदाय का पारिस्थितिक संतुलन कायम रखने में साकारात्मक अन्तर्भावितता।

viii द्वीपों को विकसित करने की अपनी दृष्टि को यह एक पृष्ठ दस्तावेज सरलता से यह घोषणा करता है .... पर्यावरण धारणीय अवसंरचना के विकास के माध्यम से ईकोपर्यटक के लिए उत्कर्ष गंतत्य के रूप में, द्वीपों के प्राकृतिक परिस्थिति सामाजिक–अर्थशास्त्रीय को भंग किए बिना। (सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय 2003). http:/www.and.nic.in/Tourism policy.doc

ix http://chhattisgarh.nic.in/tourism/tourism1.htm

x http://www.mptourism.com/wn/ecopolicy.pdf

xi http://gov.ua.nic.in/uttaranchaltourism/policy1 vision.html

xii राज्य पर्यटन मंत्रालय सम्मेलन 1996, जिसने ईकोटूरिज़्म के विकास के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, पर्यटन विकास के लिए निम्नलिखित, संससधनों को पहचाना है – जीवमंडल आरक्षिति, मैंग्रोव, मूंगा और मूंगा भित्ति, रेगिस्तान, पहाड़ और वन, वनस्पति और जंतु समूह और समुद्र, झील और नदियाँ।

xiii उच्चतम न्यायलय के विनिर्ण पर आधारित, वन और पर्यावरण भारतिय मंत्रालय ने तीस सितम्बर 2002 तक वन प्रदेशों से सभी अतिक्रमणों को बेदखल करने के लिए आदेश जारी किया है। यद्यपि यह साफ नहीं है कि इस आदेश ने शक्तिशाली और भूमि क्षुधित अतिक्रमण कर्ताओं को प्रभावित किया या नहिं, तथापि इसने वन पर निर्भर रहने वाले हजारों समुदायों के जीवन में पूर्ण तबाही मचा दी है। इनमें से अधिकतर लोग जो अपने घरों और जोते गए भूमियों से खदेड़े गए हैं वे लोग है जिनके पास राजस्व का और कोई स्रोत नहीं है और चूंकि उनका नाम बिना उनके दोष के, सरकारी जमीन रिकॉर्डों में दाखिल नहीं है, उन्हें ही अतिक्रमण का दोषी ठहराया जा रहा है।
कल्पवृक्ष – पर्यावरण और कार्रवाही ग्रुप, भारत, सितम्बर 2002 द्वारा जारी किया गया ई–मेल (e-mail) वक्तव्य।

xiv व्यावसायिक पंक्ति, "ताज ने वन्यजीव पर्यटन अगस्त 2004 के प्रचार के लिए एक अद्वितीय सहयोगी पहल का अनावरण किया।
http://www.thehindubusinessline.com/2005/06/02/stories/2005060200671700.htm

xvi विश्व बैंक (2006) "भारत में वन निर्भर लोगों के लिए भारत अवसर खोल रहा है", कृषि और ग्रामीण विकास सेक्टर, यूनिट, दक्षिण ऐशिया क्षेत्र भाग I (रिपोर्ट संख्या 34481–IN)
http://www.worldbank.org.in/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/INDIAEXTN/0,,contentMDK:20873030~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:295584,00.html, November 2006 से आंकड़े प्राप्त

यह अनुसंद्यान स्वेडबायो (www.swedbio.com) की सहायता से संभव हुआ है।



भूमंडलीय वन संघ (Global Forest Coalition), देशी जन संगठन और NGO's का एक अन्तराष्ट्रीय संघ है। वह वन नीतियों के आधार के लिए लोगों के अधिकारों का समर्थन करके तथा वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण के प्रत्यक्ष और अन्तर्निहित कारणों को संबोधित करता है। देशी और वन पर निर्भर लोगों का दरिद्रण और गरीबी को कम करने की कोशिश करता है।

www.wrm.org.uy/gfc



info@equitabletourism.org
www.equitabletourism.org

ईक्वेशनस (EQUATIONS) की स्थापना, विशेषतः उदार शासन, आर्थिक सुधार और अर्थव्यवस्था को खोलने के संदर्भ में पर्यटन विकास के प्रभाव को खोलने की लालसा की प्रतिक्रिया के रूप में, 1985 में हुई। हम ऐसे पर्यटन की कल्पना करते हैं जो शोषण–रहित, लिंग उचित और धारणीय है जहाँ निर्णयन लोकतांत्रिक है और पर्यटन की पहुँच और लाभ साम्ययुक्त रूप से वितरित है।

www.equitabletourism.org